भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/315

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.234/21-02-067/2025-26 नवम्बर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2

बी. प्रयोज्यता 2

सी. परिभाषाएँ 2

अध्याय II – आरसीबी द्वारा लाभांश की घोषणा 3

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 4

ए. निरसन और बचत 4

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं 4

सी. व्याख्याएँ 4

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 35 ए के साथ पठित अधिनियम की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित और बैंकिंग नीति में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक-लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश जारी होने के तत्काल से प्रभावी हो जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश ग्रामीण सहकारी बैंकों (जिसे आगे से सामूहिक रूप से 'आरसीबी' और वैयक्तिक रूप से 'आरसीबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।
   इस संदर्भ में, ग्रामीण सहकारी बैंकों से आशय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत परिभाषित राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से होगा।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, यहां दिए गए शब्दों का आशय निम्नानुसार होगा।
   (i) 'सीआरएआर' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक- पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के संदर्भ में गणना की गई जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) है।
   (ii) 'लाभांश' में कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है।
   (iii) 'निवल अनर्जक आस्तियां(एनएनपीए) अनुपात' का अर्थ है एनएनपीए का निवल अग्रिमों का अनुपात।
5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लागू अधिनियमों, उसके तहत बनाए गए नियमों / विनियमों के तहत दिया गया है, अथवा किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया गया है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II – आरसीबी द्वारा लाभांश की घोषणा

6. आरसीबी लाभांश घोषित कर सकते हैं बशर्ते कि वह निम्नानुसार शर्तों को पूरा करते हों:

(i) यह लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता का अनुपालन करेगा;

(ii) उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है एनएनपीए अनुपात पांच प्रतिशत के बराबर या उससे कम होगा;

(iii) बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है;

(iv) क्षत आस्ति और आयकर भुगतान, कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान आदि के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं; और

(v) लाभांश का भुगतान उस वित्तीय वर्ष के निवल लाभ से किया जाएगा, जिसके लिए लाभांश का भुगतान किया जा रहा है, सभी सांविधिक प्रावधान करने और संचित हानि के लिए पूर्ण रूप से समायोजन के उपरांत,यदि कोई।

7. अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने, ऐसे प्रावधान को वापस लेने पर बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान, और भारत सरकार की गारंटी वाले लोन और सिक्योरिटी रिसीट्स के स्थानांतरण से होने वाले अवास्तविक लाभ के मामले में सावधानी बरतने से जुड़े नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – क्रेडिट रिस्क का स्थानांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार होंगे।

8. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करते समय, आरसीबी निदेशक मंडल अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति पर विचार करेगा, जबकि लागू पूंजी आवश्यकताओं, लागू पूंजी आवश्यकताएं और प्रावधानों की पर्याप्तता पर विचार करेगा, जिसमें आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

9. इन निर्देशों के जारी होने के साथ ही, ग्रामीण सहकारी बैंक बैंकों पर लागू होने वाले लाभांश की घोषणा से जुड़े विवेकपूर्ण नियमों के मौजूदा निर्देश और दिशानिर्देश रद्द माने जाएंगे, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि. आरआरसी. आरईसी.302/33-01-010/2025-26 में बताया गया है। इन निर्देशों के जारी होने से पहले रद्द किए गए निर्देश और दिशानिर्देश रद्द ही रहेंगे।

10. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निर्देशों या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली कोई भी कार्रवाई, या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई, उन्हीं के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी मंजूरियां या स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत संचालित मानी जाएंगी। साथ ही, इन निर्देशों या दिशानिर्देश को निरस्त करने से किसी भी तरह से इन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा:

    (i) उसके तहत हासिल किया गया, बना या लागू हुआ कोई भी अधिकार, दायित्व या ज़िम्मेदारी;

    (ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा;

    (iii) ऊपर बताए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, ज़िम्मेदारी, जुर्माने, ज़ब्ती या सज़ा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा लगाई जा सकती है, मानो उन निर्देशों या दिशानिर्देश को रद्द न किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

11. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अवहेलना।

सी. व्याख्याएँ

12. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक, यदि वह आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है

और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक